

TO

Director / Principle

1085-ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY & RESEARCH SITAPUR

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश

प्राविधिक शिक्षा विभाग

संख्या- 1932 / प्र0फी0नि0स0 / 2019

लखनऊ दिनांक 03 अक्टूबर, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 अधिनियम 2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन सत्र 2019-20 से स्थापित नवीन निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रारम्भ हो रहे हैं तथा पाठ्यक्रम के संचालन पर होने वाले व्यय से सम्बंधित अभिलेख वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण समिति द्वारा पूर्व से संचालित संस्थाओं हेतु निर्धारित मानक शुल्क आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा निर्धारित मानक शुल्क ही इन संस्थाओं हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 (दो वर्षों) के लिए निर्धारित किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

(क) निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु:-

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2019-20 एवं 2020-21 |
|---------|------------------|--|
| 01 | बी0टेक0 | 55000.00 |
| 02 | बी0फार्मा0 | 63300.00 |
| 03 | बी0आर्की | 57730.00 |
| 04 | बी0एफ0ए0 | 85250.00 |
| 05 | बी0एफ0ए0डी0 | 85250.00 |
| 06 | बी0एच0एम0सी0टी0 | 70000.00 |
| 07 | एम0बी0ए0 | 59700.00 |
| 08 | एम0सी0ए0 | 55000.00 |
| 09 | एम0फार्मा0 | 68750.00 |
| 10 | एम0आर्की0 | 57500.00 |
| 11 | एम0टेक0 | 57500.00 |

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क—

➤ निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क—

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2019-20 एवं 2020-21 |
|---------|---------------------------|--|
| 01 | डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग | 30150.00 |
| 02 | डी0फार्मा0 | 45000.00 |
| 03 | डी0आर्की0 | 30250.00 |
| 04 | डी0एच0एम0सी0टी0 | 31300.00 |

➤ निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क—

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2019-20 एवं 2020-21 |
|---------|---|--|
| 01 | दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0फार्मा के अतिरिक्त) | रु0 22500.00 |

➤ सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क—

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2019-20 एवं 2020-21 |
|---------|------------------------|--|
| 01 | समस्त पाठ्यक्रमों हेतु | रु0 19000.00 |

3. वर्ष 2019-20 से निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में नवीन संचालित होने वाले B.VOC एवं MBA Integrated पाठ्यक्रमों का शुल्क—

वर्ष 2019-20 से निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में नवीन संचालित होने वाले यथा B.VOC-(BFSI), B.VOC-(Graphics and Multimedia) B.VOC-(Refrigeration and Air Conditioning), B.VOC-(Automobile Servicing) B.VOC-(Medical Imaging Technology) B.Voc-Management (Travel and Tourism), B.Voc-Computer Application (Graphics and Multimedia) एवं MBA Integrated कोर्स के मानक शुल्क का निर्धारण प्रथमबार किया जा रहा है। B.VOC एवं MBA Integrated हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा वर्तमान में स्टाफ तथा अवस्थापना के सम्बंध में मानक निर्धारित नहीं है तथा पूर्व से

संचालित संस्थाओं को उपलब्ध अवस्थापना में ही उक्त पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। Approval process hand book 2018-19 notified by AICTE में दिये गये प्राविधानानुसार वर्ष 2019-20 को संक्रमण काल मानते हुए मात्र एक वर्ष अर्थात् सत्र 2019-20 के लिए निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2019-20 |
|---------|---------------------------------|--|
| 01 | समस्त B.VOC पाठ्यक्रमों हेतु | रु0 26900.00 |
| 02 | MBA Integrated पाठ्यक्रमों हेतु | रु0 25750.00 |

4. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क की सूचना समिति की वेबसाइट www.afrcup2018.in पर जनसाधारण हेतु उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थान अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


5. किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जायेगा। समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम-2006, विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या उसके किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गयी व्यवस्थानुसार संस्था के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक/प्राचार्य, प्रदेश की वर्ष 2019-20 से संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
- (2) कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- (3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
- (4) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- (5) सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
- (6) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (7) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
- (8) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एफ0आर0 खान)
सचिव